



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, मंगलवार, 23 जून, 2026 ई0

आषाढ़ 02, 1948 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

वन अनुभाग-3

संख्या- 1117/X-3-26/01(154)/2015

देहरादून, 23 जून, 2026

अधिसूचना

प0 आ0-34

राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या-16 वर्ष 1927) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रयोजनार्थ जनपद पिथौरागढ़ की तहसील डीडिहाट के अंतर्गत पमस्यारी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु हस्तान्तरित 5.857 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी राज्य सरकार के स्वामित्व की श्रेणी-9(3)ड (बंजर काबिल आबाद) की 11.714 है0 भूमि, जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है, को वन भूमि के साथ-साथ संरक्षित वन घोषित करते हैं:-

तालिका

क्र० सं०	जिला	ग्राम	खाता/खतौनी संख्या	कुल क्षेत्रफल (है०)	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि (है०)	भूमि की किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	पिथौरागढ़	पमस्यारी	58	8.100	8.100	वर्ग 9(3)ड (बंजर काबिल आबाद)
		खेतार	111	3.614	3.614	वर्ग 9(3)ड (बंजर काबिल आबाद)
				योग:	11.714	

2— संरक्षित वन का सीमांकन एवं स्तम्भ निर्माण किया जायेगा।

3— उपरोक्त तालिका में उल्लिखित भू-अभिलेखों में वन विभाग के नाम हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि किसी भी प्रकार के अधिकार एवं रियायतों के दावों से मुक्त है।

आज्ञा से,
कल्याणी,
अपर सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 1117/X-3-26/01(154)/2015, Dehradun dated June 23, 2026 for general information:

File No. 1117/X-3-26/01(154)/2015

Dated Dehradun, June 23, 2026

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 29 of Indian Forest Act 1927, (Act No. 16 of 1927), the Governor is pleased to declare 11.714 hectare land of category-9(3)e (Banjar Kabil Aabad) owned by the State Government, transferred by District Magistrate, Pithoragarh to the Forest Department for compensatory plantation in respect of 5.857 hectare forest land transferred for the construction of Pamsyari Motor Road in Tehsil Didihat, Pithoragarh District, details of which is given in the table below, as forest land as well as protected forest, for the purposes of Chapter IV of the said Act.

Table

Sr. No.	District	village	Khata/Khatauni No.	Total Area (in Hectares)	Land selected for compensatory plantation (in Hectares)	Category of Land
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1.	Pithoragarh	Pamsyari	58	8.100	8.100	Category-9(3)e (Banjar Kabil Aabad)
		Khetaar	111	3.614	3.614	Category-9(3)e (Banjar Kabil Aabad)
				Total:-	11.714	

- 2- The protected forest shall be demarcated and pillars shall be constructed.
- 3- The land to be transferred in the name of the Forest Department in the land records, mentioned in the table above, is free from any claim of rights and concessions.

By Order,

KALYANI,

Additional Secretary .